रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 8, 1990/कार्तिक 17, 1912
No. 493] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 8, 1990/KARTIKA 17, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1990

स. 46/90-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 900 (अ) :—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उस प्रथा के अनुसार जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के

अधीन उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अन्तर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना भी है) साधारणतया प्रचलित थी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अध्याय 28 या 29 के अन्तर्गत आने वाले पाइरैजोलोन पर जो एक मध्यवर्ती उत्पाद है, जब उसकी प्रयुंज औषधि एनलजीन आई.पी. के विनिर्माण में एकमात्र रूप से खपत होती है, उत्पाद शुल्क 28 फरवरी, 1986 को प्रारंभ होने वाली और 29 फरवरी, 1988 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था ;

और ऐसे पाइरैजोलोन पर विशेष उत्पाद शुल्क पूर्वोक्त अवधि के दौरान ऐसे शुल्क के उद्ग्रहण से संबंधित सुसंगत विधि के अधीन भी उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 11-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त प्रथा के न होने पर, ऐसे पाईरैजोलोन पर, यथास्थिति प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन या उक्त विधि के अधीन संदेय संपूर्ण उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क ऐसे पाइरैजोलोन की बाबत संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिस पर उक्त उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क उक्त प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया गया था।

[फा.स. 120/5/89—सीएक्स-3]

सी.के. कलौनी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 1990

NO. 46/90-CENTRAL EXCISES (N.T.)

G.S.R. 900(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on pyrazolone, an intermediate product, falling within Chapter 28 or 29 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), when consumed captively in the manufacture of the bulk drug analgin I.P., was not being levied under section 3 of the first-mentioned Act, during the period commencing on the 28th day of February, 1986 and ending with the 29th day of February, 1988;

And whereas the special duty of excise on such pyrazolone was also not being levied under the relevant law relating to the levy of such duty during the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the first-mentioned Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise and the special duty of excise payable under section 3 of the first-mentioned Act, or, as the case may be, under the said law on such pyrazolone but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such pyrazolone on which the said duty of excise and the special duty of excise were not levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 120|5|89-CX-3]

C. K. KALONI, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990